

EDN-HE(27)NSS-Certificates-2022-23/Distt. Mandi
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh

Dated Shimla-171001 the

04-01-2023

To

The Principal,
Govt. Sr. Sec. School, Cholthara,
Distt. Mandi, (HP).

04 JAN 2023


Subject:- Regarding NSS Certificates for the year 2021-22 .

Sir,

This is with reference to your office letter No.EDN-GSSS/Cholthara (NSS)2018-19-892 dated 04-10-2022 on the subject cited above.

In this context, clarification regarding issuance of certificate of special camp organized in the interval of two phases has been received from Regional Director, Chandigarh vide letter No. 3475-3477 dated 28/12/2022 (copy attached). You are, therefore informed that no certificates can be issued to your school as you have organized the Special Camp in the interval of two phases i.e. 06-01-2022 to 08-01-2022 (3days) & 09-02-2022 to 12-02-2022 (4days) which against the guidelines of NSS manual-2006.

You are, therefore directed to strictly adhere the guidelines of NSS manual-2006 in future.



Joint Director Higher Education
Himachal Pradesh.

Endst. No. EDN- U-(G-II) NSS/2023/5248

Dated:- 11/01/2023

Office of the, Dy. Director of Higher Education, Una, District Una (H.P)-174303

Forwarded to All the Principal Govt Sr. Sec School of Una district for information and further necessary action accordingly.


Dy. Director of Higher Education,
Una Distt. Una (HP)

मि०स०पी-03(विशेष शिविर)/रा०से०यो०/क्ष०नि०/2022 /3475-3477

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना

केंद्रीय सदन , चौथा तल, कमरा स० 403-406

सेक्टर-09ए चंडीगढ़-160009

दिनांक: 28 दिसम्बर, 2022

सेवा में ,

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय,

हिमाचल प्रदेश सरकार,

शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

विषय :- दो चरणों के अंतराल में आयोजित विशेष शिविर के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार आपके कार्यालय से प्राप्त पत्रांक संख्या इडीन.एच -27/एनएसएस/प्रमाणपत्र/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2022 के सन्दर्भ में लेख है कि राष्ट्रीय सेवा योजना मैनुअल-2006 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अनुसार विशेष शिविर आयोजित करने की समय अवधि वर्तमान समय में 07 दिन की है और विशेष शिविर को 02 भागों में आयोजित नहीं किया जा सकता है ।

अतः जो राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई विशेष शिविर 07 दिन का नहीं लगा रहे है और 2 वर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना में रह कर नियमित गतिविधियों द्वारा कुल 240 घंटे (120 घंटे प्रति वर्ष) सामुदायिक/सामाजिक कल्याण में कार्य नहीं कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है । इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधीन समस्त राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों को इस बाबत निर्देशित करें कि सभी इकाईयां राष्ट्रीय सेवा योजना मैनुअल-2006 की गाइडलाइन्स का पूरी तरह से अनुपालन करें ।

भवदीया

इकाई

(हरिंदर कौर)

क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश ।
- समन्वयक (+2 कौंसिल), उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश ।